ई–मेल

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
निर्वाचन सदन, प्लाट नं0 2, सैक्टर–17,
पंचकुला।

क्रमांकः– एस0ई0सी0/एस0ए0/2015/8420–40 दिनांकः 20.08.2015

सेवा में

सभी उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),
हरियाणा राज्य ।

**विषयः– पंचम पंचायत आम चुनाव –2015 में मतपत्रों के प्रयोग एवं छपवाई बारे।**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपको यह कहने का निर्देश हुआ है कि पंचम पंचायत आम चुनाव में सरपंच पद का चुनाव ई0वी0एम0 से करवाये जाने बारे निर्णय लिया गया है । आयोग द्वारा ई0वी0एम0 में प्रयोग हेतु तथा टैंडर वोट हेतु मतपत्र अग्रिम रूप से छपवा लिए गये हैं जिनमें चुनाव लड़ने वाले उम्मीवारों के नाम उनको दिए गए प्रतीक के समक्ष तथा ग्राम पंचायत का नाम, वर्ष एवं जिला का नाम हाथ से हिंदी भाषा में लिखा जाना है ।

2 सरपंच पद के चुनाव हेतु प्रत्येक बूथ के लिए ई0वी0एम0 हेतु दो (Two) मतपत्र एवं टैंडर वोट हेतु 5(Five) मतपत्र दिए जाने हैं जिनमें सभी रिक्तियां हाथ से हिंदी भाषा में भरी जानी हैं तथा इन रिक्तियों को भरने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत/ बूथ के पीठासीन अधिकारी को स्पष्ट रूप से हिदायतें ट्रैनिंग के दौरान दे दी जाए ।

3 पीठासीन अधिकारी को मतपत्रों में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम इत्यादि भरने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम, 1994 के नियम 32 के तहत तैयार किए गए फार्म नं0 7 की प्रति उपलब्ध करवाई जाए तथा इस फार्म में दिए गए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम ही पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपत्रों में दिए प्रतीक के समक्ष भरे जाने हैं तथा इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी चाहिए ।

4 आयोग द्वारा ई0वी0एम0 एवं टैंडर वोट हेतु मतपत्र दो प्रतीक से 24 प्रतीक तक छपवाए गए हैं । अतः प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारो की संख्या अनुसार उतने ही प्रतीक का मतपत्र उस ग्राम पंचायत के पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध करवाए जाएं अगर आपके जिले में सरपंच पद के चुनाव में 24

से अधिक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं तो उन ग्राम पंचायतों में चुनाव EVMs से करवाने के लिए मतपत्र मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा में छपवाये जाने हैं। जिस के लिए उम्मीदवारों की नाम वापिसी के तुरन्त बाद उन ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए मतपत्र छपवाने के लिए आप अपने जिले से जिम्मेवार अधिकारी/कर्मचारी को डम्मी मतपत्रों एवं ग्राम पंचायत में पोलिंग बूथों की संख्या का ब्यौरा देकर आयोग के कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेगें ताकि ऐसी ग्राम पंचायतों में सरपंच के चुनाव हेतु मतपत्र समय पर छपवाये जा सकें

5 ई0वी0एम0 एवं टैंडर वोट हेतु अग्रिम रूप से छपवाए गए मतपत्र प्रत्येक जिला को आयोग के स्टोर से उपलब्ध करवा दिये गये है। जिन्हें आप नामांकन पत्रों की वापिसी के पश्चात सभी खण्डों को आवश्यकता अनुसार आबंट्ति करेंगे तथा बकाया मतपत्रों को उचित स्थान पर संभाल कर रखें क्योंकि इन का प्रयोग उपचुनावों में भी किया जाना है।

6 सदस्य ग्राम पंचायत (पंच) एवं पंचायत समिति (सिवाये रेवाड़ी और पंचकूला) का चुनाव मतपत्र द्वारा एवं पंचायत समिति रेवाड़ी और पंचकूला तथा सभी जिला परिषदों के चुनाव ई0वी0एम0 से करवाये जाने है जिस हेतु मतपत्र चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम व प्रतीक सहित, नामांकन पत्रों की वापिसी की तिथि के उपरांत छपवाये जाने हैं जिस बारे प्रैसों के नाम व स्थान बारे आपको अलग से सूचित कर दिया जाएगा ।

भवदीय,
हस्ता/–
(पुष्कर दत्त)
अधीक्षक/पंचायत
राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा